न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज।
CNR No.–UPKJ01–001914–2026
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–M/214/12/2026
सोनम प्रति प्रमोद आदि
थाना–इन्दरगढ़ जिला कन्नौज।

दिनांक–27.05.2026

1. वाद पत्रावली आवेदिका **सोनम** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत **धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के निस्तारण हेतु नियत है।** उक्त प्रार्थनापत्र पर आवेदक एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि दिनांक 17.05.2026 समय करीब 9.30 बजे रात मेरी पुत्री पलक मोहल्ले के राजू के पुत्र के बर्थ–डे में गयी थी। तभी मोहल्ले के प्रमोद, विनोद ने बच्चों–बच्चों में विवाद हो गया था तो उपरोक्त लोगों ने मेरी पुत्री पलक उम्र 17 वर्ष के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने लगे। तब मेरी पुत्री ने विरोध किया तो उपरोक्त ओमप्रकाश, कुलदीप, अर्जुन, सुरेश व झम्मन उर्फ करन सभी लोगों ने मेरी पुत्री के साथ मारपीट की। शोरगुल पर मैं मौके पर पहुंच गयी तो उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ भी मारपीट की और उपरोक्त लोगों ने मेरे गले से सोने का मंगलसूत्र व 3,550/–रूपये मेरी पर्स में थे, उपरोक्त लोगों ने लूट लिये। मेरे व मेरी पुत्री के शोरगुल पर मेरे पति व मोहल्ले के बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी व हम लोगों को बचाया। उपरोक्त लोग धमकी देकर चले गये कि अगर कहीं कानूनी कार्यवाही की तो तुझे व तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। मैं उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पर गयी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसके बाद मैंने एक प्रार्थना पत्र जरिये रजि०डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज को दिया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फोटो आधार कार्ड, पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को प्रेषित पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

4. उक्त प्रार्थनापत्र पर आवेदक एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. सम्बन्धित थाने से आख्या प्रस्तुत की गयी। थाने की आख्यानुसार घटना के सम्बन्ध में कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

6. प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदिका की पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुये मारपीट की गयी तथा आवेदिका को भी मारापीटा गया एवं आवेदिका के गले से एक सोने की जंजीर व पर्स में रखे 3,550/–रूपये लूट लिये जाने का अभिकथन किया गया है। इसप्रकार प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों से आवेदिका के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का होने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका **सोनम** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4)बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह मामले को दर्ज कर उसकी विवेचना नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये।

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–2, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.06.02 17:02:40 IST
Reason: FIR ORDER PASSED
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ